

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

सा0का0नि0--- (अ). केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क, अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 82/2017- सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017, सा0का0नि0 1341 (अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्;

क्रम सख्या 157 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “20% या 100 रु प्रति किलो., जो भी अधिक हो” को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा.सं. 354/123/2017-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार